Office of the Comptroller & Auditor General of India
New Delhi -110 124

(For exclusive use in IA&AD and not to be quoted or published elsewhere)

Circular No.07- Staff (App 1)/2016
No.113 - Staff (App 1)/37-2011
Dated 25.01.2016

To

1. All Heads of Department in the IA&AD
2. Pr Director (Exam)
3. Director General (Commercial)
3. Director (P)

Subject: **Recruitment Rules to the post of Stenographer Grade II, GP Rs. 2,400.**

Sir/Madam,

I am to forward a copy of Recruitment Rules to the post of Stenographer Grade-II, (erstwhile post of Stenographer renamed as Stenographer Grade-II vide this office Circular No 43-Staff (App-1)/2015 issued under no.935-Staff (App-1)/01-2012 dated 16.11.2015), which has been notified in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-Section (i) vide GSR No. 11 dated 08.01.2016, for appropriate action.

2. The receipt of this circular may be acknowledged

Yours faithfully,

25/01/16

(Ranjit Singh)
Assistant Comptroller & Auditor General (N)

Scanned by CamScanner

210

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 11.–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (आशुलिपिक ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे,जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि. -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता. -** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

Scanned by CamScanner

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड- II	445 * (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिविय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता।	18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पणः** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (ii) कौशल परीक्षण मानदंड श्रुतलेखनः 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अनुलिपिकरणः कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां विभाग के अन्य कार्यालयों या केन्द्रीय मंत्रालयों या विभागों या स्थानीय राज्य सरकारों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) पर सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समतुल्य पंक्ति का	लागू नहीं होता।

Scanned by CamScanner

	कोई अधिकारी जो प्रशासन समूह का प्रभारी हो -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (जो उस कार्यालय से भिन्न कार्यालय का हो जिसमें पुष्टीकरण के संबंध में विचार किया जा रहा है) -सदस्य 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी -सदस्य	

[फा. सं. ए – 12018/1/2012- ई जी]

निर्मला देव, उप सचिव (ई जी)

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 8th January, 2016

G.S.R. 11.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department, (Stenographer) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

   (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Stenographer Grade -II) Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These rules shall be applicable to the post specified in column (1) of Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale**.- The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc**.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** - Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Scanned by CamScanner

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade -II	445* (2016) * Subject to the variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200, plus Grade Pay of Rs. 2400/-	Not Applicable.	18 - 27 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) **Skill Test Norms** **Dictation:** 10 minutes @ 80 words per minute **Transcription:** 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) on Computers.	Not Applicable	Two years	**Direct recruitment through Staff Selection Commission** **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the other Offices of the Department or Central Ministries or Departments or local State Governments holding analogous posts on regular basis and possessing educational qualifications prescribed for direct recruits at Column (7).

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group C Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank in-charge of administration group	Not applicable.

Scanned by CamScanner

	-Chairperson. 2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank (from an office other than the one in which confirmation is considered)-Member. 3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer or Accounts Officer or Audit Officer or an officer of equivalent rank-Member.	

[F. No. A-12018/1/2012-EG]

NIRMALA DEV, Dy. Secy. (EG)

Scanned by CamScanner